न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/532

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. छगना आत्मज माधो जाति माली निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ग्यारसा आत्मज माधो जाति माली निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलअन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 92(ए) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 840 के अनुसार खसरा नम्बर 3464/5 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 6174/3464 कायम हुए हैं । उक्त भूमि वादीगण के गैर खातेदारी अधिकार में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता हरदेव आत्मज बिरमा को आंवटित हुई थी जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा है जिस पर आवंटन के बाद से पुश्तैनी रूप से वादीगण काबिज काश्त हैं । वादीगण को खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा पर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था जिसके बजाय खसरा नम्बर 3464/5 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 6174/3464 है पर गैर खातेदार दर्ज किया गया । वादीगण का प्रारम्भ से ही कब्जा खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा पर है जिस पर वादीगण को अतिक्रमी भी दर्ज किया गया है । वादीगण को खसरा नम्बर 6174/3464 के स्थान पर खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा पर गैर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा पर वादीगण को बहैसियत खातेदार कृषक घोषित किया जाकर अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 3464 में से 10 बीघा आराजी सिवायचक भमि हरदेव आत्म बीरमा के आवंटन होने के उपरान्त आवंटित भूमि पर दखलनामा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 3464/5 रकबा 10 बीघा गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गई । उक्त भूमि का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 6174/3464 अंकित है एवं आवंटी गेर खातेदारी की मृत्यु उपरान्त छगना ग्यारसा पिता माधो जाति माली गैर खातेदार जरिये नामान्तरण संख्या 3392 अंकित है । आराजी खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा सिवायचक भूमि है एवं जमाबन्दी चौसाला अनुसार किसम गैर मुमकिन बर्डा अंकित है जो कृषि योग्य भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत वर्जित भूमि के रूप में वर्णित है जिस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना राजस्व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित होने से निरस्तनीय है । उक्त भूमि नगरपालिका की पैराफेरी सीमा में स्थित है । नैनवा नगरपालिका पर मास्टर प्लान लागू हो चुका है जिसमें नये सिरे से गेर खातेदारी से खातेदारी के लिए भी सक्षम अधिकारी द्वारा डीएलसी दर की 20 प्रतिशत प्रीमियम राशि राजकोष में जमा होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवा को दिनांक 14.08.2018 को आवेदन किया जिस पर तहसीलदार नैनवा द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी कर उसी दिनांक को नकल प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक को दिनांक 21.08.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ एक दावा हक घोषणा का पेश किया था जिसमें यह कथन किया था कि खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा के स्थान

पर खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का दावा स्वीकार करने में त्रुटि की है । खसरा नम्बर 3464 रकबा 10 बीघा आराजी हरदेव आत्मज बीरमा को आवंटित की गई थी और नामान्तरकण खोला जाकर खसरा नम्बर 3464/5 रकबा 10 बीघा आराजी उनके गैर खातेदारी में दर्ज की गई । राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में खसरा नम्बर 6174/3464 दर्ज है और आवंटी की मृत्यु हो जाने के बाद छगना, ग्यारसा पिसरान माधो की गैर खातेदारी में दर्ज है । आराजी खसरा नम्बर 3487 सरकारी सिवायचक भूमि है और इसकी किश्म गै0 मु0 बरडा है जो आवंटन योग्य नहीं होती है उस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना धारा 16 एल0आर0 एक्ट के तहत वर्जित है । यह आराजी नगर पालिका की पैराफेरी सीमा में स्थित है जिसमें गैर खातेदारी से खातेदारी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा डीएलसी दर की 20 प्रतिशत प्रीमीयम राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरान्त ही दी जा सकती है । तनकीयात का निर्णय विधि–विरूद्ध किया है। रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 06.07.2014 को खसरा नम्बर 6174/3464 की रकबा 10 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और यह कथन किया कि उक्त भूमि पर वादीगण ही वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है । उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा खसरा नम्बर 3487 पर नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । रेस्पोडेन्ट को जो आराजी आवंटित की गई थी वो उनके गैर खातेदारी में दर्ज की गई और मौके पर कब्जा खसरा नम्बर 3487 पर दिया गया । रेस्पोडेन्ट को जिस जगह कब्जा दिया गया था वहीं पर उसका कब्जा है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने दावा हक घोषणा का पेश किया था जो विधि सम्मत रूप से डिक्री किया गया है जहॉ तक खसरा नम्बर 6174/3464 की गैर खातेदारी निरस्त करने का प्रश्न है इस बाबत् न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.10.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा हक घोषणा का पेश किया है जिसमें प्रतिवादी तहसीलदार नैनवा के द्वारा इंकारी जवाबदावा पेश किया गया । वादी ने अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2072 प्रदर्श – 2 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा

नम्बर 3487 सरकारी सिवायचक आराजी है जिस पर वादीगण को अतिक्रमी दर्शाया गया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्श– 3 संलग्न है ।

12. प्रतिवादी की ओर से नकल नामान्तरकरण पेश किया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 3464/1 में से 10 बीघा पर हरदेव बल्द बीरमा को गैर खातेदारी दी गई है । नकल नामान्तरकरण संख्या 3392 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– डी–2 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 3464/5 रकबा 10 बीघा में हरदेव के स्थान पर वादी का गैर खातेदारी में दर्ज किया गया । प्रदर्श– डी–3 नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 3464 रकबा 10 बीघा हरदेव के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 प्रदर्श– डी– 4 संलग्न है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा छगना, ग्यारसा पिसरान माधो के गैर खातेदारी में दर्ज है ।

13. वादी द्वारा बयान पीडब्ल्यू–1 ग्यारसा, पीडब्ल्यू– 2 छगना, पीडब्ल्यू– 3 सुखपाल, पीडब्ल्यू– 4 कमलकुमार, पीडब्ल्यू– 5 रूघनाथ कराये गये हैं ।

14. प्रतिवादी द्वारा डीडब्ल्यू– 1 महेन्द्र सिंह कराये गये हैं ।

15. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की हैं। प्रकरण का तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. तनकी नं0 1 :– **आया वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा पर आंवटन के बाद से कब्जा काश्त होने से वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । वादी का यह कथन है कि उनका आवंटित खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 3487 रकबा 10 बीघा पर कब्जा है जिस पर उन्हें खातेदार कृषक घोषित किया जावे । प्रदर्श– 1 नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है और प्रदर्श – पी–2 नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2072 के अनुसार खसरा नम्बर 3487 सरकारी सिवायचक आराजी है जिस पर वादीगण को अतिक्रमी दर्शाया गया है । वादीगण खसरा नम्बर 6174/3464 पर गैर खातेदार दर्ज है यदि उनका कब्जा खसरा नम्बर 6174/3464 पर नहीं है और खसरा नम्बर 3487 पर है तो हक घोषणा के दावे के माध्यम से सरकारी सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बेंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–विरूद्ध रूप से तनकी वादीगण के पक्ष में तय की है । अतः यह तनकी वादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है ।

2. तनकी नं0 02 :– **आया प्रतिवादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा पर वादीगण के पूर्वजों को आवंटित भूमि पर दखल दिये जाने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अमल होकर वादीगणों के नाम आयी है जिस पर वादीगण गैर खातेदार दर्ज है के अनुसार 6174/3464 के स्थान पर 3487 रकबा 10 बीघा पर**

खातेदार दर्ज नहीं किया जा सकता :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । खसरा नम्बर 6174/3464 रकबा 10 बीघा भूमि वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है । खसरा नम्बर 3487 सरकारी सिवायचक आराजी है जिस पर कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । जैसा कि तनकी कम 01 में विवेचन किया जा चुका है । यदि वादीगण खसरा नम्बर 3487 पर आवंटन के पात्र हैं तो उन्हें आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन सलाहकार समिति उनके प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत निर्णय ले सकती है । आवंटन के उपरान्त आवंटित आराजी जो कि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है उसके स्थान पर अन्य सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–विरूद्ध रूप से इस तनकी को प्रतिवादी के खिलाफ तय किया है ।

3. तनकी नं0 03 :– **आया प्रतिवादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में नगरपालिका सीमा में गैर खातेदार कृषकों को समस्त आवंटन शर्तो की पालना करने एवं आवंटित भूमि कि डी0एल0सी0 दर की 20 प्रतिशत की 20 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराये जाने के उपरान्त खातेदारी अधिकार जिला कलक्टर महोदय द्वारा ही दिये जा सकते हैं । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित भूमि के खसरा नम्बर परिवर्तन के अधिकार न्यायालय को नहीं हैं** :–इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है और आराजी नगरपालिका सीमा में गैर खातेदारी में दर्ज होती है तो आवंटन शर्तो की पालना करने एवं आवंटित भूमि के लिए डीएलसी की 20 प्रति राशि राजकोष में जमा कराने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटित आराजी के खसरा नम्बर को परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत परीक्षण न्यायालय को नहीं है । इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को विधि– विरूद्ध रूप से प्रतिवादी के खिलाफ तय किया है ।

4. तनकी नं0 04 :– **अनुतोष** :– तनकी नम्बर 01 वादी के खिलाफ पायी गई है । तनकी नम्बर 02 और तनकी नं0 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पायी गई हैं । इस प्रकार दावा वादी खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादी डिक्री किया है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2017 निरस्त किया जाता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत सरकारी सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । अतः निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, बून्दी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

17. निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/532

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. छगना आत्मज माधो जाति माली निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ग्यारसा आत्मज माधो जाति माली निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 34/दावा/2016

1. छगना आत्मज माधो जाति माली निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ग्यारसा आत्मज माधो जाति माली निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी.

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 26.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेश योगी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2017 निरस्त किया जाता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत सरकारी सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । अतः निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, बून्दी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 26.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा